FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ जिला चूरू

किशनाराम बनाम सरकार

मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमां 177 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
9/4/21	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी किशनाराम पुत्र पेमाराम जाति बिश्नोई नि० चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू ने इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 360 ख0नं0 190, 233, 244, 248, कुल तादादी 14.7710 हैक्टेयर रोही मौजा चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का गलत नाम किशनलाल भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम किशनाराम दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 360 ख0नं0 190, 233, 244, 248 कुल तादादी 14.7710 हैक्टेयर रोही मौजा चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम किशनलाल के स्थान पर सही नाम किशनाराम शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी	